भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5063

04.04.2022 को उत्तर के लिए

परती भूमि विकास बोर्ड

5063. श्री भागीरथ चौधरी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुष्कर सीवरेज और वन परियोजना के अंतर्गत डॉ.डी.डी. दास, निदेशक, टी.ई. परती भूमि विकास बोर्ड, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 28.2.24/89-90 एमएम-।।। दिनांक 08.02.1991 ''सहायक महानिरीक्षक, वन परती भूमि विकास बोर्ड'' को भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो किस मामले में पत्र भेजा गया था; और

(ग) उक्त पत्र के संबंध में संपूर्ण टिप्पण और प्रारूपण का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) : भारत सरकार की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार, परियोजना फाइलों को श्रेणी 'ग' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इनके प्रतिधारण का अधिकतम समय 10 वर्ष है। चूंकि पुष्कर सीवरेज और वन परियोजना से संबंधित यह मामला 30 वर्षों से अधिक पुराना है तथा अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार समय-समय पर फाइलों की छंटनी की जाती है, अतः इतने पुराने अभिलेख वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं।

*****